भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 793
उत्तर देने की तारीख 21.07.2022

महिलाओं के लिए कार्यक्रम और योजनाएं

793. श्री सुनील बाबूराव मेंढेः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) महाराष्ट्र में महिला स्वामित्व वाले और महिला केंद्रित उद्यमों के लिए मंत्रालय के कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में, विशेषकर महाराष्ट्र में उक्त योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यक्रम/योजना-वार कितने लाभार्थी हैं;
(ग) उक्त योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए ऐसे उद्यमों के चयन हेतु क्या मानदंड हैं; और
(घ) कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों के दौरान वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान उक्त कार्यक्रमों और योजनाओं से कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) महाराष्ट्र सहित देश में एमएसएमई (महिला स्वामित्व वाली एमएसएमई सहित) के संवर्धन और विकास हेतु बहुत सी स्कीमों का कार्यान्वयन करता है। महिलाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय कयर विकास योजना के अंतर्गत महिला कयर योजना का कार्यान्वयन करता है, जो कयर उद्योग में लगे महिला कारीगरों के कौशल विकास पर लक्षित एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कयर की कताई के लिए दो माह का वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

मंत्रालय प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम का कार्यान्वन भी करता है, जो परंपरागत कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोज़गार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोज़गार अवसरों के सृजन पर लक्षित एक प्रमुख ऋण-संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यकों/महिलाओं, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि जैसी श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों को उच्चतर सब्सिडी प्रदान की जाती है। महिला कयर योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित कारीगरों को कयर इकाइयों की स्थापना के लिए पीएमईजीपी स्कीम के माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्सहित किया जाता है।

लोक प्रापण नीति में संशोधन के माध्यम से, सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उनके वार्षिक प्रापण के न्यूनतम 3% की खरीद का अधिदेश दिया है।

मंत्रालय महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई सहित एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए कई अन्य स्कीमों नामतः सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), टूल रूम और प्रौद्योगिकी केंद्र, परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति), प्रापण और विपणन सहायता स्कीम, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) आदि का भी कार्यान्वयन करता है।

(ख) वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के तीन वर्षों के लिए महाराष्ट्र सहित देश में महिला कयर योजना और पीएमईजीपी के लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या अनुबंध में है।

(ग) इन स्कीमों के लिए लाभार्थियों का चयन संबंधित स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। सभी स्कीमों का ब्यौरा वेबसाइट https://msme.gov.in पर उपलब्ध है।

(घ) वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान, महिला कयर योजना, पीएमईजीपी, लोक प्रापण नीति और ईएसडीपी के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है:

	लाभार्थियों की संख्या					
स्कीम	2019-20		2020-21		2021-22	
	कुल	इनमें से महिलाएं	कुल	इनमें से महिलाएं	कुल	इनमें से महिलाएं
महिला कयर योजना	2075	2075	3591	3591	2331	2331
पीएमईजीपी	66653	24720	74415	27285	103219	39154
लोक प्रापण नीति	157770	3666	176830	5013	215571	10287
ईएसडीपी	233507	101234	27544	13640	58659	24734

***

अनुबंध

दिनांक 21.07.2022 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 793 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क. **महिला कयर योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा**

राज्य	2019-20	2020-21	2021-22
तमिलनाडु	190	520	299
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	98	160	100
कर्नाटक	140	200	100
गुजरात	40	160	100
महाराष्ट्र	**180**	**300**	**260**
आंध्र प्रदेश	200	240	198
तेलंगाना	100	120	80
ओडिशा	138	200	157
केरल	373	895	619
लक्षद्वीप	100	60	0
पश्चिम बंगाल	116	156	98
पूर्वोत्तर क्षेत्र	400	580	320
कुल	**2075**	**3591**	**2331**

अनुबंध (जारी)

ख. विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत महिलाओं द्वारा स्थापित परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	2019-20		2020-21		2021-22	
		परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित रोज़गार सृजन	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित रोज़गार सृजन	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित रोज़गार सृजन
1	अंडमान निकोबार	17	136	42	336	43	344
2	आंध्र प्रदेश	1113	8904	856	6848	1320	10560
3	अरुणाचल प्रदेश	77	616	38	304	84	672
4	असम	798	6384	951	7608	1272	10176
5	बिहार	582	4656	665	5320	838	6704
6	चंडीगढ़-संघ शासित प्रदेश	8	64	6	48	11	88
7	छत्तीसगढ़	670	5360	753	6024	848	6784
8	दिल्ली	41	328	33	264	45	360
9	गोवा	36	288	18	144	43	344
10	गुजरात*	2719	21752	1841	14728	2630	21040
11	हरियाणा	592	4736	622	4976	692	5536
12	हिमाचल	447	3576	431	3448	472	3776
13	जम्मू और कश्मीर	1861	14888	3235	25880	8520	68160
14	झारखंड	451	3608	444	3552	502	4016
15	कर्नाटक	1167	9336	1492	11936	1940	15520
16	केरल	1003	8024	953	7624	1092	8736
17	लद्दाख	0	0	85	680	82	656
18	लक्षद्वीप	0	0	2	16	1	8
19	मध्य प्रदेश	627	5016	1435	11480	2385	19080
20	महाराष्ट्र**	1636	13088	1179	9432	1712	13696
21	मणिपुर	518	4144	725	5800	552	4416
22	मेघालय	117	936	140	1120	283	2264
23	मिज़ोरम	389	3112	417	3336	333	2664
24	नागालैंड	481	3848	310	2480	535	4280
25	ओडिशा	1160	9280	1319	10552	1874	14992
26	पुदुचेरी	21	168	13	104	24	192
27	पंजाब	681	5448	737	5896	816	6528
28	राजस्थान	732	5856	663	5304	670	5360
29	सिक्किम	29	232	24	192	33	264
30	तमिलनाडु	2841	22728	2663	21304	2857	22856
31	तेलंगाना	735	5880	734	5872	1111	8888
32	त्रिपुरा	219	1752	224	1792	260	2080
33	उत्तर प्रदेश	1574	12592	2777	22216	3712	29696
34	उत्तराखंड	467	3736	551	4408	489	3912
35	पश्चिम बंगाल	911	7288	907	7256	1073	8584
कुल		**24720**	**197760**	**27285**	**218280**	**39154**	**313232**

* दमन एवं दीव सहित ** दादरा नगर और हवेली सहित